284

न्यायालय श्रीमान म०प्र० रेविन्यू मण्डल ग्वालियर म०प्र०

निग-3163-I-16

(१) देवेन्द्र सिंह तनय हनुमत सिंह ठाकुर

(२) बृजेन्द्र सिंह तनय हनुमत सिंह ठाकुर

दोनो निवासी- ग्राम मंझवा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म०प्र०

-- आवेदकगण

|| विरूद्ध ||

(१) केहर सिंह तनय प्रताप सिंह ठाकुर

निवासी- ग्राम मंझवा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म०प्र०

(२) कृष्ण प्रताप सिंह , राम प्रताप सिंह तनय शासन सिंह परमार

निवासी- ग्राम बेला तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म०प्र०

(३) म०प्र० शासन

-- अनावेदकगण

रा०प्र०क्र०   प्रस्तुत दिनांक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० म०प्र० भू रा० सं० १९५९

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण

उपरोक्त पुनरीक्षण न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ म०प्र० के रा०प्र०क्र० ७६।बी-१२१।२०१५-१६ नाम मलाकात केहर सिंह तनय प्रताप सिंह विरूद्ध देवेन्द्र सिंह तनय हनुमत सिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक २२-८-०१६ के आदेश से परिवेदित होकर निम्नलिखित सत्यात्मक एवं विधिपरक तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने हेतु यह पुनरीक्षण प्रस्तुत है ।

प्रकरण के तथ्य

(१):- यह कि आवेदक के पिता- द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया गया कि पलेरा तहसील के ग्राम मंझवा निवासी- भूमिहीन कृषक दमरूआ तनय रूआ चमार को भूमि खसरा नंबर क्रमशः ११०।१ रकबा १-८८ एकड़ एवं १५१।५ रकबा २-०० एकड़ एवं करिया तनय

कुमार सिंह - PS
16/9/16 को

16/9/16

Singh
दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-6

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3163-एक/2016 जिला टीकमगढ़ देवेन्द्र विरूद्ध केहर व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 79/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-08-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य	